भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 829

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनईएक्सटी परीक्षा

829. श्री सुखदेव भगत:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (एनसीआईएसएम) द्वारा जारी की गई नेशनल एग्जिट टेस्ट (एनईएक्सटी) परीक्षा की अधिसूचना में उसी सत्र के छात्रों के लिए कतिपय नियम लागू किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये नियम पुराने सत्र के छात्रों पर भी लागू किए जा रहे हैं जबकि एनसीआईएसएम ने पूर्व में इसे नए सत्र से लागू करने की योजना बनाई थी जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने भी इस विषय में की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एनसीआईएसएम द्वारा उन महाविद्यालयों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है जिनके 50 प्रतिशत से अधिक छात्र एनसीआईएसएम द्वारा जारी की गई एनईएक्सटी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क), (ख), (ग) और (घ):

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम**,** 2020 में उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत नेशनल एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि " नेशनल एग्जिट टेस्ट**,** इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर**,** उस तिथि को कार्यान्वित हो जाएगा**,** जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी।"

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 15 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने दिनांक 20.12.2023 को एक विनियमन अधिसूचित किया, जिसका नाम, "भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (भारतीय चिकित्सा पद्धति हेतु राष्ट्रीय परीक्षाएं) विनियम, 2023" है। उक्त विनियम उन प्रशिक्षुओं के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोजित करने के तरीके को स्पष्ट करता है, जिन्होंने नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम दो सौ सत्तर दिन की इंटर्नशिप अथवा जो आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा के स्नातक हैं, जिन्होंने एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी कर ली है। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित संकाय के चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने और पंजीकृत चिकित्सक के रूप में राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन हेतु नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोजित

किया जाएगा। यह परीक्षा समस्या संबंधी प्रश्नों पर आधारित होगी, जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक के रूप में नैदानिक योग्यता, चिकित्सा नैतिकता की समझ और चिकित्सा-कानूनी मामलों से निपटने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा तथा यह परीक्षा आम तौर पर प्रत्येक वर्ष फरवरी और अगस्त के महीने में आयोजित की जाएगी। नेशनल एग्जिट टेस्ट में शामिल होने की कोई सीमा नहीं होगी। जो अभ्यर्थी नेशनल एक्जिट टेस्ट उत्तीर्ण नहीं कर सके, उनकी स्नातक डिग्री को अन्य सभी नौकरी के अवसरों और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के लिए विचार किया जाएगा, जहां चिकित्सीय पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।

तदनुसार, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोजित करने के लिए दिनांक 04.07.2024 को दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं, जो उन सभी के लिए अनिवार्य है जिन्होंने दिनांक 20.12.2023 (प्रवेश वर्ष या बैच पर ध्यान दिए बिना) अर्थात भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (भारतीय चिकित्सा पद्धति हेतु राष्ट्रीय परीक्षाएं) विनियम, 2023 की अधिसूचना की तारीख को या उसके बाद अपनी इंटर्नशिप शुरू की है।

(ङ) और (च): चूंकि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अभी तक कोई नेशनल एक्जिट टेस्ट आयोजित नहीं किया गया है, इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*****